कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

दूरभाष (कार्या.) : 0755-2550488, 2550412, 2570414, 2446602, फैक्स : 0755-2555162

फा.क्र. 2/03/2014/955 भोपाल, दिनांक 10/02/2023

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषयः— फोटो निर्वाचक नामावली की प्रति उपलब्ध कराने हेतु दर निर्धारण बावत्।

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्र कमांक 2/03/2014/5582 दिनांक 25.05.2018

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 25.05.2018 का अवलोकन करें। विधानसभा निर्वाचन/लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदाता सूची सशुल्क प्रदान करने की दरों की जानकारी प्रेषित की गई थी। उक्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए नवीन निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते है :—

1. आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली संबंधी मैन्युअल अक्टूबर, 2016 के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली वाली सी.डी. प्रति सी.डी. 100/—रूपये मात्र के मूल्य पर पीडीएफ फार्मेट में निर्वाचक नामावली की सॉफ्ट कॉपी (निर्वाचको के फोटो के बिना) दी जाना नियत किया है।
2. निर्वाचक नामावली व सुसंगत अभिलेखो (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 32) की प्रमाणित प्रतिलिपि, उनके लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को उसकी फीस का भुगतान करने पर दी जायेगी। सत्यापित प्रति एक पृष्ठ एक तरफ के लिए रूपये 5/— तथा एक पन्ना पर दोनो तरफ के लिए रूपये 7/— शुल्क वसूल किया जायेगा।
3. निर्वाचक नामावली व सुसंगत अभिलेखो के निरीक्षण के लिए 1 घंटे या उससे कम के लिए 75/— रूपये तत्पश्चात प्रत्येक अगले 15 मिनिट के लिए 40/— रूपये के मान से एवं शीघ्रता के लिए दुगनी राशि होगी, शीघ्रता से आशय सुपुर्दगी के लिए आदेश पारित होने के 2 दिन से अधिक पश्चात नही होगी।

नियत देय राशि शुल्क एम.पी.टी.सी./चालान द्वारा शासकीय कोषालय में निर्वाचन आय मद " 0070—अन्य प्रशासकीय सेवायें— निर्वाचन—ग—अन्य प्राप्तियॉ 02—निर्वाचन आय" के अन्तर्गत राशि जमा कर, चालान की मूल प्रति पेश करने पर ही अभिलेख की प्रमाणित प्रति/निरीक्षण का अधिकार होगा।

कृपया जारी निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(राजेश कुमार कौल)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्य प्रदेश

पृ.क्र. 2/03/2014/956 भोपाल, दिनांक 10/02/2023

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन अशोक रोड़ नई दिल्ली की ओर अग्रेषित।
2. संभागीय आयुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल की ओर अग्रेषित।
4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (समस्त) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. श्री राहुल बाघमारे, वेब डेव्हलपर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय वेबसाईट पर अपलोड़ कर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

मध्य प्रदेश